पेज-1

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :– 11/2019

वादी

नाथूराम पुत्र श्री भंवरलाल
जाति कुमावत निवासी
पटेलनगर तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किरणदेवी पत्नी स्व. श्री कैलाश जाति कुमावत निवासी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा
2. लक्षिता पुत्री स्व. श्री कैलाश आयु 10 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता किरणदेवी पत्नी कैलाश जाति कुमावत निवासी पटेलनगर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. माणकराम पुत्र श्री पावूराम
4. ओगड़राम पुत्र श्री पावूराम
5. धन्नाराम पुत्र श्री पुसाराम
6. रतनाराम पुत्र श्री उम्मेदराम
   सभी जातियान कुमावत निवासीगण पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
7. परमादेवी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा
9. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी.
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री शिम्भूराम खोजा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 8, 9 सरकारी पैरोकार।
प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :– 18-11-2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेलनगर की सरहद में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि खसरा नम्बर 1377 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1379 रकबा 12 बीघा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

18/11/2019
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पेज - 2

02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1380 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1832 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1842 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरे 5 कुल रकबा 54 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त खसरान की भूमि में प्राथी एव उनकी बहनो सुरमा, कलूडी व भाई कैलाश का 1/3 हिस्सा म स प्रार्थी व प्रार्थी की बहनों सुरमा, कलूड़ी व भाई कैलाश का प्रत्येक का 1/3 का 1/4–1/4 हिस्सा बनता था। बाद में प्रार्थी की बहनों सुरमा व कलूडी न अपने 1/4–1/4 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि को अपने भाई प्रार्थी नाथूराम का हकतर्क कर दी हकतर्क करने के बाद उक्त खसरान की भूमि प्रार्थी का 1/3 का 3/4 हिस्सा बनता है तथा सम्पूर्ण भूमि का 3/12 वॉ हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्से का 1/4 हिस्सा आता है तथा सम्पूर्ण भूमि में 1/12 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बनता है। इसी प्रकार ग्राम पटेलनगर की सरहद में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1800 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा आयी हुयी है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का 1/2 हिस्सा बनता है। उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का तथा प्रार्थी की बहनों सुरमा व कलूड़ी का 1/2 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थी की बहनो सुरमा व कलूडी द्वारा अपना तमाम हक हिस्सा हकत्याग प्रार्थी को करने के बाद प्रार्थी का 3/24 वॉ हिस्सा बनता है। उक्त खसरान की भूमि में दिव्यांसु फौत होने पर उसके स्थान पर अप्रार्थी लक्षिता एवं किरण के नाम से बहिस्से बराबर म्यूटेशन नही भरा गया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोरम प्रस्ताव संख्या 7 लिया जाकर म्यूटेशन किरण के नाम से स्वीकृत किया गया। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि ग्राम पटेलनगर की सरहद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1377, 1379, 1380, 1832, 1842 कुल खसरा 5 कुल रकबा 54 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1800 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1379 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी उपरवर्णित हिस्सा का बैचन पंजीयन नही किया जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 9 को पाबन्द किया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 1700 अपास्त किया जाकर नये सिरे से कार्यवाही कर लक्षिता एवं किरण के नाम से राजस्व रेकर्ड दिव्यांसु के फौत

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्ट्रर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

होने पर उसके हिस्से की जमीन का बहिस्सा बराबर-बराबर भरा तान का आदेश फरमावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस आधार का पेश किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रवितादी संख्या 2 की नाबालिग है, की ओर से बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। आदेश 32 नियम 2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार जहा अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से वाद, वादमित्र के बिना संस्थित किया जाता है वहा प्रतिवादी ही आवेदन कर सकेगा कि वाद पत्र फाईल से निकाल दिया जाये और खर्च उस प्लीडर या अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाये जिसने उसे उपस्थित किया था। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिना वादमित्र की हैसियत से पेश किया है तथा न ही वादी प्रतिवादी संख्या 2 का संरक्षक है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 की प्राकृतिक संरक्षक व न्यायालय द्वारा घोषित संरक्षक भी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिना वादमित्र के पेश किया होने के कारण आदेश 32 नियम 2 द्वारा वर्जित होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अन्त में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कैलाश श्री वादी का सगा भाई था प्रतिवादी संख्या 1 वादी के भाई कैलाश की शादीसुदा पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लक्षिता वादी के भाई कैलाश की पुत्री है जो नाबालिग है। किरण देवी लक्षिता की माता है जो किरण अपनी नाबालिग पुत्री लक्षिता को छोडकर पुनः विवाह कर लिया है इस कारण लक्षिता कैलाश की कानूनी वारिस है। जो उसकी माता किरण द्वारा छोड कर चले जाने के बाद किरण अपने पिता की जायदाद में हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है इसलिए वादी ने किरण व लक्षिता के विरुद्ध वाद पेश किया था किरण द्वारा दूसरी शादी करने के बाद उसका एक मात्र सहारा कैलाश की जायदाद ही है। वाद में नाबालिग को वली दर्शाया

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

पेज-4

गया है जो न्याय सगत है। नाबालिग की पूर्व म वली उसकी माता किरण थी जो किरण द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री लक्षिता को त्याग कर दूसरी शादी कर दी है एव किरण को एक लावारिस की तरह छोड दिया है। इसलिए किरण क हक व हिस्सा बाबत् तथा उसके भविष्य को देखते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वाद पेश किया है लक्षिता को उसकी माँ के द्वारा त्यागन के बाद लक्षिता का गारजन यानि संरक्षक नियुक्त करने के लिये पारिवारिक न्यायालय में वाद संस्थित किया जायेगा। लक्षिता को उसकी माता द्वारा त्यागने के बाद उसका एकमात्र संरक्षक उसका बड़ा पिता वादी ही है इसके अलावा अन्य कोई संरक्षक नही हो सकता है। पूर्व में लक्षिता की सरक्षक उसकी माता थी मगर उसकी माता किरण के द्वारा दूसरी शादी कर लेने के बाद उसका एकमात्र संरक्षक उसका बड़ा पिता वादी है वादी ने अपने भाई की पुत्री लक्षिता के भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए वाद पेश किया है ताकि किरण कैलाश की पत्नी के रूप में लक्षिता के हक हिस्से की भूमि को बैचान न कर दे एवं लक्षिता को एक लावारिस की तरह नही छोड़ देवे। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के पद संख्या 2,3 व 4 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 के निहित हक व हिस्से के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 नाबालिग है, जिसकी कुदरती वली व सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित संरक्षक प्रतिवादी संख्या 1 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को ही प्रतिवादी संख्या 2 की वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हक व हिस्से की भूमि के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार है। वादी न तो प्रतिवादी संख्या 2 का प्राकृतिक संरक्षक है व न ही सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित संरक्षक है। आदेश 32 नियम 2 सी.पी. सी. में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अव्यस्क की ओर से वाद वादमित्र द्वारा पेश किया जा सकता है। आदेश नियम 4 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों के अनुसार यदि अव्यस्क का ऐसा संरक्षक जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है, वहाँ जब तक न्यायालय दूसरे व्यक्ति को उसके वाद मित्र की हैसियत में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न करे तब तक ऐसे संरक्षक से भिन्न

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कोई व्यक्ति, यथास्थिति, न तो अव्यस्क की ओर से कोई कार्य कर सकेगा न न ही नियुक्त किया जाएगा। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न तो वादमित्र की हैसियत से पेश किया व न ही प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वादमित्र की हैसियत से कार्य करने के लिए अनुज्ञात किये जाने का कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। आदेश 32 नियम 2 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो के अनुसार जहां अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से वाद वादमित्र के बिना संस्थित किया जाता है, वहां प्रतिवादी यह आवेदन कर सकेगा कि वादपत्र फाईल से निकाल दिया जाए और खर्चे उस प्लीडर या अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाए, जिसने उसे उपस्थित किया था। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 32 नियम 2 व 4 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों से वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित होने खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

18.11.2018

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18.11.2018

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी

नाथूराम पुत्र श्री भंवरलाल
जाति कुमावत निवासी
पटेलनगर तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किरणदवी पत्नी स्व. श्री कैलाश
   जाति कुमावत निवासी
   पटेलनगर तहसील बिलाड़ा
2. लक्षिता पुत्री स्व. श्री कैलाश
   आयु 10 वर्ष नाबालिग जरिये
   कुदरती वली माता किरणदवी
   पत्नी कैलाश जाति कुमावत
   निवासी पटेलनगर तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. माणकराम पुत्र श्री पाबूराम
4. ओगड़राम पुत्र श्री पाबूराम
5. धन्नाराम पुत्र श्री पुसाराम
6. रतनाराम पुत्र श्री उम्मेदराम
   सभी जातियान कुमावत निवासीगण
   पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला
   जोधपुर
7. परमादेवी पत्नी रामकरण जाति
   जाट निवासी बोरून्दा तहसील
   पीपाड़शहर जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा
9. उप पंजीयक, उप पंजीयन
   कार्यालय बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 11/2019

निर्णय दिनांक :– 18-11-2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री शिम्भूराम खोजा, प्रतिवादी संख्या 8, 9 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. (डी) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

18.11.2019

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पेज-6

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2019 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

18.11.2019

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते